

**भारतीय रिज़र्व बैंक**
RESERVE BANK OF INDIAवेबसाइट : www.rbi.org.in/hindiWebsite : www.rbi.org.inई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai-400001 फोन/Phone: 022- 22660502



31 जनवरी 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री वी रामचंद्र को श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (एसआईएफएल) और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड (एसईएफएल) की सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में नियुक्त किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने [दिनांक 11 अक्टूबर 2021 की अपनी प्रेस प्रकाशनी](#) के माध्यम से कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान वित्तीय सेवा प्रदाताओं के परिचालनों में प्रशासक को सलाह देने हेतु दिवाला और शोधन अक्षमता (वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला और परिसमापन कार्यवाही और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2019 के नियम 5 (सी) के अंतर्गत एक सलाहकार समिति का गठन किया था। तत्पश्चात, श्री आर. सुब्रमण्यकुमार के इस्तीफे के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने [दिनांक 23 जून 2022 की प्रेस प्रकाशनी](#) के माध्यम से श्री वेंकट नागेश्वर चलसानी को सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया था।

श्री फारुख एन सूबेदार के सलाहकार समिति से दिनांक 31 जनवरी 2023 से प्रभावी इस्तीफे के परिणामस्वरूप, श्री वी रामचंद्र को तत्काल प्रभाव से सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। सलाहकार समिति में अब निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

1. श्री वेंकट नागेश्वर चलसानी, भूतपूर्व उप प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक
2. श्री टी टी श्रीनिवासराघवन, भूतपूर्व प्रबंध निदेशक, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड
3. श्री वी रामचंद्र, भूतपूर्व मुख्य महाप्रबंधक, केनरा बैंक

सलाहकार समिति, कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान एसआईएफएल और एसईएफएल के परिचालनों में प्रशासक को सलाह प्रदान करेगी।

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1640

(योगेश दयाल)

मुख्य महाप्रबंधक